**भारत सरकार**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1312**

**(दिनांक 28.06.2019 को उत्तर देने के लिए)**

**एन.एफ.ए.आई. का कार्यकरण**

**1312. डॉ. सुकान्त मजूमदारः**
**श्री खगेन मुर्मुः**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हाल ही की सीएजी रिपोर्ट की टिप्पणियों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) के पास 31000 से अधिक बहुमूल्य रीलें अथवा कैने गुम हो गईं अथवा नष्ट हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सीएजी रिपोर्ट के आलोक में एनएफएआई के कार्यकरण की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मंत्रालय के अधीन अन्य स्वायत्त निकायों/अधिनस्थ कार्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री**
**(श्री प्रकाश जावड़ेकर)**

**(क) एवं (ख):** नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के अंतर्गत लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), पुणे द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्डों की जांच की तथा यह पाया कि एनएफएआई में उपलब्ध लगभग 1,32,000 फिल्म रीलों/कैनों में से केवल 100377 फिल्म रीलों/कैनों पर ही बार कोड स्टीकर्स चिपकाए गए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि बार कोड स्टीकर्स केवल उन रीलों/कैनों पर चिपकाए गए थे, जो सभी तकनीकी पहलुओं से सही पाए गए थे। तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए शेष रीलों/कैनों की पहचान की गई है। इस प्रकार कोई रील/कैन न तो खोए और न ही नष्ट हुए हैं।

**...जारी...**

**(ग) एवं (घ):** सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले तीन पूर्ववर्ती मीडिया एककों नामत: विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) तथा गीत और नाटक प्रभाग (एसऐंडडीडी) के कार्यकरण की समीक्षा करने के पश्चात दिनांक 08.12.2017 को उन्हें एकल संस्था अर्थात लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) में समाहित करने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रभावी संचार के लिए इन एककों के बीच तालमेल तथा समन्वय स्थापित किया जा सके।

सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे तथा बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई), मुंबई के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु दिनांक 14.11.2018 को तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में फिल्म मीडिया एककों नामत: राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई), फिल्म प्रभाग (एफडी), राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) तथा फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) को सुव्यवस्थित करने/बंद करने/उनका विलय करने के मामले पर व्यापक राय कायम करने हेतु दिनांक 29.01.2019 को श्री बिमल जुल्का, सूचना आयुक्त (पूर्ववर्ती सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय) की अध्यक्षता में दो विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है। दिनांक 14.11.2018 तथा 29.01.2019 के का.ज्ञा. की प्रतियां **अनुलग्नक-I** तथा **अनुलग्नक-II** में दी गई हैं।

**अनुलग्नक-I**

**दिनांक 28.06.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1312 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में यथा उल्लिखित अनुलग्नक**

**सं.जी-32021/1/2017-डीओ(एफटीआई)**
**भारत सरकार**
**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**
**(आर्थिक विंग)**

**ए-विंग, शास्त्री भवन**
**नई दिल्ली, दिनांक: 14 नवंबर, 2018**

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: एसआरएफटीआई, कोलकाता, एफटीआईआई, पुणे तथा सीएफएसआई, मुंबई के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन करने के संबंध में।**

एसआरएफटीआई, कोलकाता, एफटीआईआई, पुणे तथा सीएफएसआई, मुंबई के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु विशेषज्ञ समिति के गठन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 08.03.2018 के आदेश के अधिक्रमण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा बाल चित्र समिति, भारत, मुंबई के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु दिनांक 08.03.2018 के आदेश के तहत पूर्व में गठित की गई विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञ समिति का संशोधित संघटन निम्नानुसार होगा:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री बिमल जुल्का, पूर्व सचिव (सूचना और प्रसारण) | अध्यक्ष |
| 2 | श्री अली आर. रिजवी, अपर सचिव और वित्त सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय | सदस्य |
| 3 | श्री टी.एस. नागभरण, फिल्म निर्माता | सदस्य |
| 4 | श्री श्यामा प्रसाद, फिल्म निर्माता | सदस्य |
| 5 | श्री ए.के.बीर, फिल्म निर्माता | सदस्य |
| 6 | श्री राहुल रावल, फिल्म निर्माता | सदस्य |
| 7 | श्री अशोक परमार, संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय | सदस्य सचिव |

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :-

i) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) तथा बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) के कार्यनिष्पादन की उनके संघीय ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित अधिदेश के अनुसार समीक्षा।

ii) क्या उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है जिनके लिए इन संस्थानों की स्थापना की गई है; क्या उनमें कोई कमी रह गई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

iii) इन संस्थानों के लक्ष्यों की समीक्षा करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे अभी भी प्रासंगिक हैं तथा ''सार्वजनिक प्रयोजन'' को पूरा कर रहे हैं और यह पता लगाना कि क्या सरकार की अन्य संस्थाओं अथवा निजी क्षेत्र द्वारा अधिक प्रभावी तरीके से ''सार्वजनिक प्रयोजन'' को पूरा किया जा सकता है।

iv) क्या कार्यकलापों का स्वरूप ऐसा है कि उन्हें केवल स्वायत्तशासी संगठन द्वारा ही निष्पादित किए जाने की आवश्यकता है।

iv) यह सुझाव देना कि क्या सरकार निगमीकरण, विलय, सरकार द्वारा विघटन या इन संस्थानों को बंद किए जाने पर विचार कर सकती है।

vi) क्या विशेषकर सहयोग स्तर पर कार्यरत कुल अनुपूरक कर्मचारियों की संख्या को न्यूनतम रखा जाए, क्या सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार सुविधाओं में हुई व्यापक प्रगति एवं आउटसोर्सिंग आधार पर कार्य की आउटसोर्सिंग संबंधी सुविधाओं को भी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करते समय ध्यान में रखा गया है तथा क्या ऐसे कार्यों के लिए वैज्ञानिक अथवा तकनीकी कार्मिकों का नियोजन किया गया है जिन्हें गैर-वैज्ञानिक अथवा गैर-तकनीकी कार्मिकों आदि के द्वारा पूरा किया जा सकता था।

vii) क्या उपयुक्त दरों पर प्रयोक्ता प्रभार लगाए गए हैं तथा अंतत: संस्थान को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व सृजन में सुधार लाने हेतु सुझाव दिए गए हैं। साथ ही, प्रयोक्ता प्रभारों को लिंक करने के लिए उपयुक्त मूल्य सूचकांकों का सुझाव देना।

viii) अभिप्रेत कार्रवाई संपन्न करने के लिए कार्यनिष्पादन पैरामीटरों तथा रोडमैप का निर्धारण करते हुए सीपीएसई की तर्ज पर मंत्रालय तथा संस्थानों के बीच हस्ताक्षर करने हेतु समझौता ज्ञापन के मसौदे का सुझाव देना।

ix) कार्यकरण में प्रचालन तथा उसे लागत प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इन संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की समीक्षा करना।

x) समिति द्वारा ऐसी कोई अन्य सिफारिश करना जिसे वह उचित समझे।

xi) एफटीआईआई तथा एसआरएफटीआई के प्रशासन में प्रभावशीलता तथा पारदर्शिता, अधिप्रापण प्रणाली, छात्र शिकायत निवारण तंत्र की पारदर्शिता की समीक्षा करना तथा परिसर में यथोचित अनुशासन बनाए रखना।

3. एसआरएफटीआई के संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति जिसने वर्ष 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, की निम्नलिखित सिफारिशों को भी प्रस्तावित समीक्षा हेतु विचारार्थ विषयों में अतिरिक्त एजेंडा के रूप में शामिल किया गया है:-

i) संस्थान में उपलब्ध अवसंरचना पर्याप्त है तथा उसकी तुलना फिल्म तथा टेलीविजन शिक्षा के किसी भी उत्तम संस्थान से की जा सकती है। तथापि, तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी के अनुरूप आवधिक स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण आवश्यक होगा।

ii) संस्थान को संकाय सदस्यों के लिए दक्षता विकास कार्यक्रम सुनिश्चित करना चाहिए तथा साथ ही, बाह्य विशेषज्ञों को शामिल करते हुए संकाय सदस्यों की भर्ती का भी एक पारदर्शी तरीका होना चाहिए। संकाय सदस्यों के लिए यूजीसी के स्केल का कार्यान्वयन।

iii) छात्रों के लिए बाह्य संकाय द्वारा अधिक कार्यशालाएं/मास्टर क्लास आयोजित की जानी चाहिए। फिल्म का मूल्यांकन और फिल्म कलाशास्त्र पर भी कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए।

iv) बाह्य विशेषज्ञों द्वारा छात्रों के प्रोजेक्टों का मूल्यांकन।

v) पाठयक्रम के बैकलॉग से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय जैसे वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधिवत् पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना तथा स्टूडियो फ्लोर उपलब्ध कराना। समिति ने पाठ्यक्रम पुनर्संरचना की भी सिफारिश की है जिस पर संस्थान द्वारा काम किया जा रहा है।

vi) विलंब से बचने के लिए, इस उद्देश्य हेतु आवश्यक अवसंरचना के विधिवत् सृजन के पश्चात शिक्षण को सेलुलायड से डिजिटल में अंतरित होना चाहिए।

vii) समाज के विभिन्न वर्गों से छात्रों को आकर्षित करने के लिए शिक्षा शुल्क कम होना चाहिए। राजस्व को बढाने के लिए शैक्षिक कार्यकलापों को प्रभावित किए बिना संस्थान को इसकी सुविधाओं को किराए पर लिया जाए ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

viii) समिति ने कुछ गैर-शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, जिन्हें बहुत आवश्यक समझा गया है, के सृजन की सिफारिश की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की कार्रवाई की जाए।

4. समिति अपने कार्यकरण के आरंभ होने की तारीख से एसआरएफटीआई, एफटीआईआई और सीएफएसआई प्रत्येक के लिए तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को निम्नानुसार एयरफेयर, सिटिंग फीस और टीए/डीए का भुगतान किया जाना चाहिएः

i. बैठक में भाग लेने के लिए एयर इंडिया में इक्जिक्युटिव श्रेणी हवाई यात्रा भत्ता निम्नलिखित के अधीन होगी:

(क) जहां एक गैर-अधिकारी उस संगठन के नियमों के तहत इक्जिक्युटिव श्रेणी में हवाई यात्रा करने का हकदार है, जिसमें वह कार्यरत है अथवा जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है।

(ख) जहां प्रशासनिक मंत्रालय इस बात से संतुष्ट है कि सरकारी डयूटी के निष्पादन से असबंद्ध यात्राओं के संबंध में गैर-सरकारी अधिकारी द्वारा हवाई यात्रा के इक्जिक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करना प्रथागत प्रणाली है।

ii. गैर-सरकारी सदस्य सीधे एयरलाइंस (बुकिंग काऊंटर/कार्यालय/एयरलाइन के बेवसाइट से) या प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों जैसे कि बॉमर लॉरी एवं कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूअर्स (एटीटी) और केवल भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) से एअर टिकट खरीद सकते हैं।

iii. प्रत्येक बैठक के लिए 4000 रु. का बैठक मानदेय।

iv. 7500 रु. प्रतिदिन तक के होटल आवास/अतिथि गृह के लिए प्रतिपूर्ति।

v. शहर के भीतर यात्रा करने के लिए वास्तविक आधार पर एसी टैक्सी शुल्क की प्रतिपूर्ति।

vi. भोजन के बिलों की प्रतिपूर्ति 1200 रु. प्रतिदिन से अधिक नहीं।

vii. संबंधित संस्था द्वारा स्थानीय मेजबानी (आवास, यातायात शुल्क आदि) प्रदान किया जा सकता है। संस्थान व्यय को वहन कर सकता है और सुसंगत बिलों/वाऊचर को विधिवत प्रस्तुत करके मंत्रालय से प्रतिपूर्ति की मांग कर सकता है।

6. इस व्यय को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के स्वीकृत बजट अनुदान के तहत मांग सं 59, मुख्य शीर्ष "2220" सूचना और प्रचार-प्रसार (मुख्य शीर्ष), 60-अन्य (उप मुख्य शीर्ष), 60.102 सूचना केंद्रो (लघु शीर्ष), 03 - नीति संबंधी अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन आदि, 03.01 - स्थापना, 03.01.28 - पेशेवर सेवाओं के अंतर्गत वहन किया जाएगा।

7. यह आईएफडी की दिनांक 09.02.2018 के डायरी सं. 87306 के द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

(उ. सारंगी)
उप निदेशक (ईडब्ल्यू)
दूरभाष: 011-23385586

सेवा में,

अध्यक्ष और समिति के सदस्य

<u>प्रतिलिपि:</u>

निदेशक (एसआरएफटीआई)

निदेशक (एफटीआईआई)

सीईओ (सीएफएसआई)

<u>प्रतिलिपि इनको भी</u>

वेतन एवं लेखा कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के निजी सचिव

सचिव (आई एंड बी) के प्रधान निजी सचिव।

संयुक्त सचिव (ईडब्ल्यू) के प्रधान निजी सचिव

**अनुलग्नक-II**

**दिनांक 28.06.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1312 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में यथा उल्लिखित अनुलग्नक**

**सं. एम-14016/04/2018-डीओ (एफए)**

**भारत सरकार**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001**

**दिनांक 29.01.2019**

**कार्यालय आदेश**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में जो फिल्म मीडिया इकाईयां हैं जैसे कि राष्ट्रीय फिल्म विकास संगठन (एनएफडीसी), बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई), फिल्म प्रभाग (एफडी) राष्ट्रीय फिल्म संगहालय (एनएफएआई), फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) आदि फिल्म मीडिया इकाईयों के युक्तिकरण/समापन/विलय के मामले में व्यापक मत के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ निर्णय लिया गया। विशेषज्ञ समिति का संयोजन इस प्रकार होगा:-

1. श्री बिमल जुल्का, पूर्व सचिव (सूचना और प्रसारण) - अध्यक्ष
2. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य
3. श्री टी.एस.नागभरण, फिल्म निर्माता - सदस्य
4. श्री श्यामा प्रसाद, फिल्म निर्माता - सदस्य
5. श्री ए.के बीर, फिल्म निर्माता - सदस्य
6. एमडी, एनएफडीसी - सदस्य
7. सीईओ, सीएफएसआई - सदस्य
8. निदेशक, एनएफएआई - सदस्य
9. निदेशक ,डीएफएफ - सदस्य
10. निदेशक, डीएफएफ - सदस्य
11. महानिदेशक, फिल्म प्रभाग - सदस्य
12. संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य सचिव

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

1. एनएफडीसी और सीएफएसआई के कार्यकरण की समीक्षा करना।
2. यह सिफारिश करने के लिए कि क्या एनएफडीसी और सीएफएसआई को बंद करे और यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य विकल्प को खोजें।

iii. प्रस्तावित समावेशी संगठन के स्वरूप को अंतिम रूप देना जैसे कि एक सरकारी निकाय, एक सार्वजनिक उपक्रम या एक स्वायत संगठन।

iv. सभी संघटक मीडिया इकाइयों के अधिदेश की समीक्षा के बाद प्रस्तावित समावेशी संगठन के अधिदेश को अंतिम रूप देना।

v. प्रस्तावित समावेशी संगठन के संगठनात्मक अवसंरचना को अंतिम रूप देना।

3. समिति अपने कार्यकरण के आरंभ की तारीख से 3 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को हवाई शुल्क, बैठक मानदेय और टीए/डीए का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

i. बैठक में भाग लेने के लिए एयर इंडिया में इक्जिक्युटिव श्रेणी हवाई यात्रा भत्ता निम्नलिखित के अधीन होगी:

(क) जहां एक गैर-अधिकारी उस संगठन के नियमों के तहत इक्जिक्युटिव श्रेणी में हवाई यात्रा करने का हकदार है, जिसमें वह कार्यरत है अथवा जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है।

(ख) जहां प्रशासनिक मंत्रालय इस बात से संतुष्ट है कि सरकारी डयूटी के निष्पादन से असबंद्ध यात्राओं के संबंध में गैर-सरकारी अधिकारी द्वारा हवाई यात्रा के इक्जिक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करना प्रथागत प्रणाली है।
**(एयर इंटाइटलमेंट केवल एअर इंडिया के लिए है और एअर इंडिया की अनुपस्थिति में विशिष्ट छूट लेने की आवश्यकता है।**

ii. गैर-सरकारी सदस्य सीधे एयरलाइंस (बुकिंग काऊंटर/कार्यालय/एयरलाइन के बेवसाइट से) या प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों जैसे कि बॉमर लॉरी एवं कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूअर्स (एटीटी) और केवल आईआरसीटीसी से एअर टिकट खरीद सकते हैं।

iii. प्रत्येक बैठक के लिए 4000 रु. का बैठक मानदेय।

iv. 7500 रु. प्रतिदिन तक के होटल आवास/अतिथि गृह के लिए प्रतिपूर्ति।

v. शहर के भीतर यात्रा करने के लिए वास्तविक आधार पर एसी टैक्सी शुल्क की प्रतिपूर्ति।

vi. भोजन के बिलों की प्रतिपूर्ति 1200 रु. प्रतिदिन से अधिक नहीं।

vii. संबंधित संस्था द्वारा स्थानीय मेजबानी (आवास, यातायात शुल्क आदि) प्रदान की जा सकती है। संस्थान व्यय को वहन कर सकता है और सुसंगत बिलों/वाऊचर को विधिवत प्रस्तुत करके मंत्रालय से प्रतिपूर्ति की मांग कर सकता है।

5. इस व्यय को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के स्वीकृत बजट अनुदान के तहत मांग सं 59, मुख्य शीर्ष "2220" सूचना और प्रचार-प्रसार (मुख्य शीर्ष), 60-अन्य (उप मुख्य शीर्ष), 60.102 सूचना केंद्रो (लघु शीर्ष), 03 - नीति संबंधी अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन आदि, 03.01 - स्थापना, 03.01.28 - पेशेवर सेवाओं के अंतर्गत वहन किया जाएगा।

6. यह आईएफडी की दिनांक 14.01.2019 के डायरी सं. 99301 के द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

**(माला रंगराजन)**
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23385145

प्रतिलिपि

1. विशेषज्ञ समिति के सभी सदस्यों को।
2. माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
3. सचिव (आईऐंडबी) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (फिल्म) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (ईडब्ल्यू) के प्रधान निजी सचिव/निदेशक (फिल्म)
4. वेतन एवं लेखा कार्यालय, मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

**(माला रंगराजन)**
अवर सचिव, भारत सरकार